UPCH040063162015

न्यायालय–ए0सी0जे0एम0/सिविल जज(सी0डि0)/एफ0टी0सी0,चित्रकूट।
पीठासीन अधिकारी–सोनम गुप्ता (उ0प्र0न्यायिक सेवा)
दाण्डिकवाद सं0–4910/2015

1–रामलखन उम्र 46 वर्ष पुत्र बालकिशुन, निवासी तरौहां अरबन, थाना कोतवाली कर्वी, जिला चित्रकूट।

..........अभियोजन

बनाम

1–रामआधार पुत्र मंगलिया, निवासी अमानपुर, थाना कोतवाली कर्वी, जिला चित्रकूट।
2–आशाराम पुत्र रामआधार, निवासी अमानपुर, थाना कोतवाली कर्वी, जिला चित्रकूट।
3–रामगोपाल पुत्र रामअधार,निवासी अमानपुर, थाना कोतवाली कर्वी, जिला चित्रकूट।
4–राजाभइया पुत्र रामअधार, निवासी अमानपुर, थाना कोतवाली कर्वी, जिला चित्रकूट।
5–गुलाबदास पुत्र रामअधार,निवासी अमानपुर, थाना कोतवाली कर्वी, जिला चित्रकूट।
6–अजय निवासी अमानपुर, थाना कोतवाली कर्वी, जिला– चित्रकूट।
7–रमूसा पत्नी रामअधार,निवासी अमानपुर, थाना कोतवाली कर्वी, जिला चित्रकूट।

.............अभियुक्तगण

धारा–504, 506 भा0द0सं0
थाना–कर्वी
जिला–चित्रकूट

निर्णय

(आज दिनांक 30.01.2024 को घोषित)

1– उक्त उल्लिखित अभियुक्तगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504, 506 के अंतर्गत दण्डनीय आरोप है कि उनके द्वारा तैयारी के साथ परिवादी को भद्दी–भद्दी गालियॉ देते हुए जान से मारने दी गयी। परिवादी रामलखन द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र के आधार पर अभियुक्तगण रामअधार, आशाराम, रामगोपाल,

राजाभइया, गुलाबदास, अजय व रमूसा का विचारण धारा–504, 506 भा0द0सं0 के अंतर्गत इस न्यायालय द्वारा किया गया है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 04.10.2015 को समय 3 बजे दिन वह अपने घर पर मौजूद था तो रमूसा के पिता रामअधार पुत्र मंगलिया व रामअधार के लड़के आशाराम, रामगोपाल, राजाभइया, गुलाबदास पुत्र रामलखन व अजय पुत्र नामालूम व रमूसा निवासीगण अमानपुर आये और एकराय होकर मॉ बहन की बुरी–बुरी गालियां दी और कहा कि जमीन की रजिस्ट्री हमारे नाम कर दो नहीं तो जान से मार देगे और घर का दरवाजा तोडने का प्रयास किया। उसने चिल्लाया तो आसपास के लोग व खेतो में काम कर रहे लोग दौडकर आये तो उक्त लोग यह कहते हुए कि आज बच गये हो जब भी रास्ते में मिलोगे गाडी चढाकर मार देगे। उपरोक्त व्यक्ति बुलेरो यू0पी0 96ए–7033 आये है जो गुलाबदास के नाम रजिस्टर्ड है। उसने उपरोक्त व्यक्तियों की डर के कारण घटना के दिन रिपोर्ट करने नहीं गया। घटना की सूचना थानाध्यक्ष कर्वी को दिनांक 05.10.2015 को दिया व पुलिस अधीक्षक, चित्रकूट को जरिये पंजीकृत पत्र दिनांक 07.10.2015 को भेजा, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। उपरोक्त तथ्यों पर विपाक्षीगण को तलब कर विचारित करने की याचना की गई है।

3– परिवादी का बयान अंतर्गत धारा 200द0प्र0सं0 के अंतर्गत अंकित किया गया है। परिवादी की ओर से धारा 202 द0प्र0सं0 के अंतर्गत साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 सुफ्फे व पी0डब्ल्यू0–2 नत्थू प्रसाद को प्रस्तुत किया गया है। मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.05.2016 के द्वारा अभियुक्तगण रामअधार, आशाराम, रामगोपाल, राजाभइया, गुलाबदास, अजय व रमूसा को विचारण हेतु अंतर्गत धारा 504, 506 भा0द0सं0 तलब किया गया है।

4– अभियुक्तगण न्यायालय उपस्थित आये तथा अपनी जमानते करायी तथा उनके द्वारा नकले प्राप्त की गयी।

5– परिवादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–244 के अंतर्गत स्वयं पी0डब्ल्यू0–1 रामलखन परीक्षित हुआ है।

6– न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण रामअधार, आशाराम, रामगोपाल, राजाभइया, गुलाबदास, अजय व रमूसा को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504, 506 के अंतर्गत दण्डनीय आरोपो को विरचित कर उसे पढकर व सुनाकर स्पष्ट किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपो से इंकार करते हुए विचारण की याचना की ।

7– परिवादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–246 के अंतर्गत स्वयं पी0डब्ल्यू0–1 रामलखन परीक्षित हुआ है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी गवाह को परीक्षित नहीं करवाया गया है।

8– दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–313 के अंतर्गत कथन किया गया है कि रामलखन मेरे पिता है। मेरे माता पिता का तलाक का मुकदमा चल रहा है। परेशान करने के लिए झूॅठा मुकदमा किया है। रामलखन की दूसरी पत्नी भी है व गवाही देना गलत बताया है तथा सफाई साक्ष्य नहीं देने का कथन किया गया है।

9– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

10– पी0डब्ल्यू0–1 रामलखन(परिवादी) ने धारा 244 दं0प्र0सं0 में बयान दिया है कि घटना दिनांक 04.10.2015 की है। समय करीब 3 बजे दिन की है। उसका मकान गढीवा मौजे में बना है। वह अपने घर पर था। उसकी पूर्व पत्नी रमूला से उसका 28 वर्ष से कोई संबंध नहीं है और वह अमानपुर में रहती है। उक्त दिनांक को अभियुक्तगण रामअधार, रामगोपाल, आशाराम, राजाभइया, गुलाबदास, अजय व रमूसा आये और मॉ बहन की बुरी–बुरी गालिया दिया और कहा कि जमीन हमारे नाम करा दो नहीं तो जान से मार देगे और वह अपने घर के अंदर घुस गया। उक्त लोग दरवाजा तोडने लगे जब दरवाजा नहीं टूटा तो जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। अभियुक्तगण बुलेरो गाडी जो गुलाबदास के नाम है से आये थे । जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये थे। उक्त घटना को सुफ्फे पुत्र रामचरन, निवासी गढीवा व अन्य बहुंत से लोगो ने देखा व सुना है। उक्त घटना की सूचना उसने जरिये रजिस्ट्री एस0पी0 साहब को भेजा था जो पत्रावली पर है। प्रथम सूचना रिपोर्ट जो पत्रावली पर है जिसे वह साबित व प्रमाणित करता है।

परिवादी पी0डब्ल्यू0–1 रामलखन ने अपनी जिरह में यह कथन किया है कि मैं जल निगम कर्वी में नौकरी करता हूॅ। वह रामआधार को जानता है। रामअधार की मृत्यु हो चुकी है। रामअधार के पुत्रगण आशाराम, रामगोपाल, राजाभइया अभी जीवित है। रमूशा, गुलाब, अजय भी अभी जीवित हैं। रामआधार उसके ससुर लगते थे तथा आशाराम, रामगोपाल, राजाभइया उसके साले लगते हैं। गुलाब उसका लडका है तथा अजय दूसरी शादी के बाद पैदा हुआ है,वह उसका लडका नहीं है। रमूसा ने दूसरी शादी 1986 में कर लिया था, रमूशा ने रामपाल के साथ दूसरी शादी कर ली ।

घटना दिनांक 04.10.2015 की है। उसके यहॉ रामगोपाल, आशाराम, रमूसा, गुलाब, अजय आदि गये थे। उस समय वह घर के दरवाजे पर बैठा था। रामअधार

ने कहा कि जो तुम्हारे नाम प्रापर्टी है वह उसकी लडकी रमूशा के नाम करदो फिर उसने कहा कि वह अपनी जायदाद किसी के नाम नहीं करूँगा इसी बात से नाराज होकर रामधार ने उसके पेट में भाले से वार किया भाला उसे नहीं लगा क्योंकि आशाराम ने दौडकर अपने पिता रामअधार को पकड लिया था। जिन दो अन्य लोगो ने घटना को देखा था उनकी मृत्यु हो चुकी है। फिर अभियुक्तगण गाली गलौज देते हुए तथा जान से मारने की धमकी देते हुए वापस लौट आए। गुलाबदास अपनी चारपहिया वाहन में सबको लेकर गया था। वह अपने साथ किसी गवाह को नहीं लाया है क्योंकि अन्य दो गवाहों की मृत्यु हो चुकी है। उसके खिलाफ रमूसा ने दूसरी शादी करने का मुकदमा लिखाया था जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में चल रहा है।

11– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया गया।

12– भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 102 तथा आपराधिक विधिक शास्त्र के मुख्य सिद्धांत निर्दोषिता की अवधारणा के अनुसार अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपो को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने का भार परिवादी/अभियोजन पर होता है।

13– प्रस्तुत वाद में विनिश्चय बिन्दु निम्नवत हैः–

(क) क्या उक्त कथित तिथि व समय पर अभियुक्तगण द्वारा परिवादी को भद्दी–भद्दी गालियॉ देकर उन्हें साशय अपमानित किया गया ताकि लोक शांति प्रकोपित हो?

(ख) क्या उक्त कथित तिथि व समय पर अभियुक्तगण द्वारा परिवादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया गया?

14– परिवादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में पी0डब्ल्यू0–1 के रूप में स्वयं को परीक्षित कराया गया है, जिन्होने अपने बयान अंतर्गत धारा 200 द0प्र0सं0 के तहत दिये गये बयान को दोहराया है और कथन किया गया है कि घटना दिनांक 04.10.2015 समय करीब दोपहर 03:00 बजे उसके मकान गढीवा मौजे की है जिस दिन उसकी पत्नी रमूसा, जो उससे 29 वर्ष पूर्व से ही किसी अन्य व्यक्ति के साथ अलग रह रही है, अपने पिता रामअधार तथा अपने भाई आशाराम, रामगोपाल, राजाभइया तथा गुलाबदास पुत्र रामलखन व अजय के साथ एकराय होकर उसके घर आये और उसे मॉ बहन की बुरी–बुरी गालियॉ दी और कहा कि जमीन उसके नाम कर दे नहीं तो जान से मार देगे तो वह अपने धर के अंदर घुस गया जब वह लोग

दरवाजा तोडने लगे तो जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। किन्तु अपनी मुख्य परीक्षा में विरोधाभाषी कथन करते हुए पी0डब्ल्यू0–1 रामलखन द्वारा कथन किया गया कि जब उसने अपनी जायजात करने से किसी को मना किया तो इसी बात से नाराज होकर रामअधार ने उसके पेट में भाला से वार किया तो भाला उसे नहीं लगा क्योंकि आशाराम ने दौडकर अपने पिता रामआधार को पकड लिया था। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि परिवादी ने न ही अपने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 और न ही अपने बयान अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 में कहीं भी अभियुक्त रामआधार द्वारा भाले का उपयोग करने का कथन किया है जिससे कि पी0डब्ल्यू0–1 का कथन विश्वसनीय हो।

15– न केवल बल्कि पी0डब्ल्यू0–1 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में उक्त घटना को सुफ्फे पुत्र रामचरन व अन्य बहुत से लोगो द्वारा देखा व सुना जाना अभिकथित किया है, किन्तु अपनी जिरह में यह बताया है कि वह अपने साथ किसी अन्य गवाह को नहीं लाया है क्योंकि अन्य दो गवाहों की मृत्यु हो चुकी है जो आपस में विरोधाभाषी है क्योंकि यदि अन्य बहुत से लोगो ने घटना को देखा व सुना था तो महज दो गवाहों की मृत्यु से किसी अन्य गवाह को परीक्षित नहीं कराया जाना संदेहास्पद है।

16– अतः महज एकमात्र गवाह परिवादी के बयान जो आपस में विरोधाभाषी है के आधार पर बिना पुष्टिकारक साक्ष्य के समर्थन के प्रस्तुत प्रकरण में यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्तगण द्वारा उक्त घटना कारित की गयी है।

17– यहॉ यह उल्लेखनीय है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अंतर्गत किसी व्यक्ति का कृत्य तभी दण्डनीय होगा जब वह किसी व्यक्ति को उकसाने के उद्देश्य से जानबूझकर उसका अपमान करें, इरादतन या यह जानते हुए कि उस प्रकार की उकसाहट उस व्यक्ति को लोक शांति भंग करने या अन्य अपराध का कारण हो सकती है। प्रस्तुत आपराधिक वाद में पी0डब्ल्यू0–1 ने कथन किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी को भद्दी–भद्दी गालियॉ दी गयी परन्तु ऐसा कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया जिससे साबित होता हो कि उक्त अभियुक्तगण ने पी0डब्ल्यू0–1 को लोक शांति भंग करने के इरादे से या अन्य अपराध कारित करने के उद्देश्य से गाली देकर अपमानित किया गया हो। इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी **फियोना श्रीखण्डे बनाम महाराष्ट्र राज्य {2014 ए0आई0आर (एससी) 957}** की कण्डिका–13 में यह प्रतिपादित किया गया है कि धारा 504 भा0द0सं0 का आवश्यक कण यह है कि अभियुक्तगण का अपमान कारित करने का

आशय स्पष्टतया साबित होना चाहिए महज परिवादी को गाली देना खुद में धारा 504 भा0दं0सं0 के अंतर्गत अभियुक्तगण का दोषसिद्ध होना आकृर्षित नहीं करता।

18– इसी प्रकार धारा 506 भा0द0सं0 के अंतर्गत किसी व्यक्ति का कृत्य तभी दण्डनीय होगा जब वह किसी व्यक्ति के शरीर, ख्याति या सम्पत्ति को कोई क्षति कारित करने की धमकी इस आशय से देता है कि उसे संत्रास कारित किया जाय, या उस व्यक्ति को ऐसी धमकी के निष्पादन के बचने के साधन स्वरूप कोई ऐसा कार्य कराये जिससे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध न हो, या किसी ऐसे कार्य करने का लोप कराये जिससे वह करने के लिए वैध रूप से हकदार हो।

प्रस्तुत प्रकरण में साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 द्वारा अपने बयान में कथन किया है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी को जान से मारने की धमकी इसलिए दी गयी क्योंकि उसने अपनी जायदाद अपनी पूर्व पत्नी के नाम करने से इंकार किया था। किन्तु परिवादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे उक्त कथन का समर्थन होता हो और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **मानिक तनेजा बनाम कर्नाटक राज्य {2015 (7)एससीसी 423}** में भी यह प्रतिपादित किया गया है कि महज संत्रास कारित करने हेतु शब्दों के उच्चारण बिना किसी आशय से धारा 506 भा0द0सं0 आकृर्षित नहीं होगा।

19– सभी प्रयोज्य कानूनी प्रावधानों के प्रकाश में उपरोक्त सभी सुसंगत तथ्यों एवं परिस्थितियों का सम्यक् विश्लेषण करनेएवं दोनो पक्षो के तर्को को सुनने के उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि–

(i) भा0द0सं0 की धारा 504 के अन्तर्गत अभियुक्तगण का आपराधिक कृत्य (साशय अपमानित करना) तथा दुराशय (किसी व्यक्ति को लोकशांति भंग करने के लिए उकसाने के इरादे से अपमानित करना) युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है।

(ii) भा0द0सं0 की धारा 506 के अंतर्गत अभियुक्तगण का आपराधिक कृत्य (धमकी देना) तथा दुराशय (संत्रास कारित करने का आशय या अन्यव्यक्ति को कोई कार्य करने हेतु बाध्य करने या किसी कार्य को करने से रोकने का आशय) युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है।

प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के सम्यक् परिशीलन से स्पष्ट होता है कि उक्त उल्लिखित अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित आरोप को सिद्ध करने हेतु पत्रावली पर निश्चयात्मक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इस

प्रकार परिवादी द्वारा उक्त उल्लिखित अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित आरोप को विधितः और युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित नहीं किया जा सका है। अतएवं अभियुक्तगण रामआधार, आशारा, रामगोपल, राजाभइया, गुलाबदास, अजय व रमूसा को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504, 506के अंतर्गत दण्डनीय आरोपों से दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण रामआधार, आशाराम, रामगोपल, राजाभइया, गुलाबदास, अजय व रमूसा को परिवाद सं0–4910 / 2015, भारतीय दण्ड संहिता की धारा– 504, 506 के अंतर्गत दण्डनीय आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण के जमानत बंध पत्र निरस्त किए जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

उक्त उल्लिखित अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–437ए के अनुपालन में बीस हजार रूपये की एक जमानत व इतनी ही धनराशि का एक व्यक्तिगत बंध पत्र दाखिल करें तथा अपील की स्थिति में, यदि अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त उल्लिखित अभियुक्त को तलब किया जाता है तो अभियुक्तगण आदेशानुसार न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

(सोनम गुप्ता)
दिनांक–30.01.2024 **ए0सी0जे0एम0 / सिविल जज (सी0डि0) /**
एफ0टी0सी0 / ,चित्रकूट।
जे0ओ0कोड–यू0पी0–2517

यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

(सोनम गुप्ता)
दिनांक–30.01.2024 **ए0सी0जे0एम0 / सिविल जज (सी0डि0) /**
एफ0टी0सी0 / ,चित्रकूट।
जे0ओ0कोड–यू0पी0–2517

Digitally signed by SONAM GUPTA
Date: 2024.01.30 17:22:47 MST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court